15-01-24

गुरमीत सिंह व अन्य बनाम सरकार

अभिभाषक अपीलांट श्री सन्तनाथ योगी उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 20–11–1976 से जिसके माध्यम से अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील चूंकि उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश को विरूद्व अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील के माध्यम से सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष निहित नहीं होने से अपीलांट् की अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अपीलांट् उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। अपील की प्रमाणित प्रति रिकार्ड में संधारण हेतु सुरक्षित रखी जाकर मूल अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलांट् को लौटाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर